OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs/Miss~~. **Sushil Kumar**, I.A.S deputy commissioner,. ....Pithoragarh.......... on dated 03-06-15. at time 11:10 AM at **Pithoragarh** in which application claiming rights in Aadichaura to seedi area measuring 10·35 hect for the construction of **Aadichaura to seedi M/R Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Munsiyari** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pithoragarh
Dated:.03-06-15

जिला अधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector Pithoragarh**

No 120 Dated 03/06/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 10.35 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, PMGSY Division PWD Dharchula** for **Aadichaura to seedi M/R Motor Road** in **Pithoragarh** district.

It is further certified that:

(a) Jauljibi Munsyari M/R to Jarajivli Bani Motor Road the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ---------- to annexure -------.

(b) **Aadichaura to seedi M/R Motor Road** the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) **Aadichaura to seedi M/R Motor Road** the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नामः-- जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आदीचौरा से सिणी (13.00 किमी.) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~धारचूला~~ मुनस्यारी

उपखण्ड मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित आदीचौरा से सिणी (13.00 किमी.) के नव निर्माण हेतु 8.100 आरक्षित वन भूमि, 2.250 हे0 सिविल एव सोयम, वन भूमि Nill हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 10.350 हे0 वन भूमि पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 खण्ड लो0 नि0 वि0 धारचूला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) दिनांक 27/05/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कौस्तुभ मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री कौस्तुभ मिश्र .... उपजिलाधिकारी मुनस्यारी .... अध्यक्ष
2 श्री मनोहर सिंह सेम्मा .... उप प्रभागीय वनाधिकारी अस्कोट .... सदस्य
3 श्री मोहन चन्द्र उपाध्याय .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी मुनस्यारी .... सदस्य / सचिव
4 श्री दीपक सिंह .... बी0डी0सी0 क्षेत्र नापड़ .... क्षेत्र पंचायत सदस्य

दीपक सिंह
क्षेत्र पंचायत–नापड़
वि0ख0–मुनस्यारी(पिथौरागढ़)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आदीचौरा से सिणी (13.00 किमी.) के नव निर्माण हेतु [illegible] हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से [illegible] के आधार पर [illegible] हेतु [illegible] की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित आदीचौरा से सिणी (13.00 किमी.) के नव निर्माण हेतु 10.350 हे0 वन भूमि पी0 एम0 जी0 एस0 वाइ0 खण्ड लो0 नि0 वि0 धारचूला, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि0ख0 मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ़

सहायक वन संरक्षक/
पी0 ए0 मैनेजर, वनकार्य
अस्कोट लैण्ड[illegible], पिथौरागढ़

उप जिलाधिकारी
मुनस्यारी(पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ~~धारचूला~~ मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.... रिंगौनिया......
तह0.... मुनस्यारी....
दिनांक................

तहसीलदार
मुनस्यारी(पिथौरागढ़)

S.D.O.

उप जिलाधिकारी
मुनस्यारी(पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ~~धारचूला~~ मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, **आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– ***चामा*** तहसील :– ***मुनस्यारी*** जिला :– ***पिथैरागढ़***

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **पिथैरागढ़** के अन्तर्गत **आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (**8.100** है0 आरक्षित वन भूमि, 2.25 है0 सिविल सोयम भूमि, **शून्य** है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 10.350 है0 वन भूमि का **पी.एम.जी.एस.वाई., लो0नि0वि0, धारचूला (पिथौरागढ़)** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **चामा** द्वारा दिनांक **27.03.2015** को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **चामा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.350 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 27/3/2015
ग्राम सचिव

ह0/– हंसा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पन्चायत सीमी.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दि० - 27-03-15 के समय 10 बजे ग्राम सभा - ~~सीपी~~ सीणी पट्टी - रिंगोनिया तहसील मुनस्यारी जि० - पिथौरागढ़ की खुली बैठक में सर्वसम्मति से विचार-विमर्श किया कि उक्त ग्राम सभा की नाप भूमि जो मोटर रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मोटर रोड कटिंग में कटी है। उसमें किसी ग्रामवासी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

(हस्ताक्षर)
ग्राम प्रधान -15
ग्राम पंचायत सीणी
विकास खण्ड मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ़

(I) धान सिंह
(II) नन्दन सिंह
(III) त्रिलोक सिंह
(IV) Chandan Sing
(V) विक्रम सिंह
(VI) हरक सिंह
(VII) जगत सिंह
(VIII) गंगा सिंह
(IX) शेर सिंह
(X) Chamu Singh
(XI) पुष्कर सिंह
(XII) जीवन सिंह
(XIII) देवेन्द्र सिंह
(XIV) सुदान सिंह
(XV) त्रिलोक सिंह
(XVI) जगत सिंह
(XVII) कमलेश सिंह
(XVIII) किशन सिंह
(XIX) नारायण सिंह
(XX) दान सिंह

एल.एस. चौहान

8937836791

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत- चामा, वि० ख०- डीडीहाट, जनपद : पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

पत्रांक................ दिनांक 27/03/2015

(1)

निरापत्ति प्रमाण पत्र

हम निम्नलिखित ग्राम पंचायत चामा विकास खण्ड डीडीहाट के खातेदारों को वर्तमान समय में नव निर्माणाधीन आदिचौली सीणी- चामा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में अपनी नाप/खाप निर्धारित/नियमानुसार मुआवजा के भुगतान होने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में भी नहीं रहेगी। हम हस्ताक्षर कर्ता अपनी स्वेच्छा से यह निरापत्ति प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कर दे रहे हैं।

1- उमेद सिंह S/O हीरा सिंह - उमेद सिंह
2- उदय सिंह S/O किशन सिंह - udai singh
3- नारायन सिंह S/O देवी सिंह - नारायन सिंह
4- इन्द्र सिंह S/O नर सिंह - इन्द्र सिंह
5- पुष्कर सिंह S/O पदम सिंह - पुष्कर सिंह
6- हरपाल सिंह S/O किशन सिंह - हरपाल सिंह
7- प्रताप सिंह S/O राम सिंह - प्रताप सिंह
8- प्रेम सिंह S/O हरक सिंह - Prem Singh
9- राम सिंह S/O उत्तम सिंह - [signature]
10- होशियार सिंह S/O रुद्र सिंह - [signature]
11- केवल सिंह S/O रुद्र सिंह - केवलसिंह
12- किशन सिंह S/O कल्याण सिंह - Kishan Singh
13- भवान सिंह S/O रुद्र सिंह - भवानसिंह
14- भवान सिंह S/O शेर सिंह - Bhawan Singh
15- दयाल सिंह S/O भगत सिंह - दयालसिंह
16- पुष्कर सिंह S/O शेर सिंह - Pushkar Singh
17- लाल सिंह S/O प्रेम सिंह - [signature]
18- श्याम सिंह S/O प्रताप सिंह - श्याम सिंह

क्रमशः पेज 2 -----

Main Attachment 1.8

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आदिचौरा से सीणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (ल0–13.00 कि0मी0)

Compensatory Afforestation

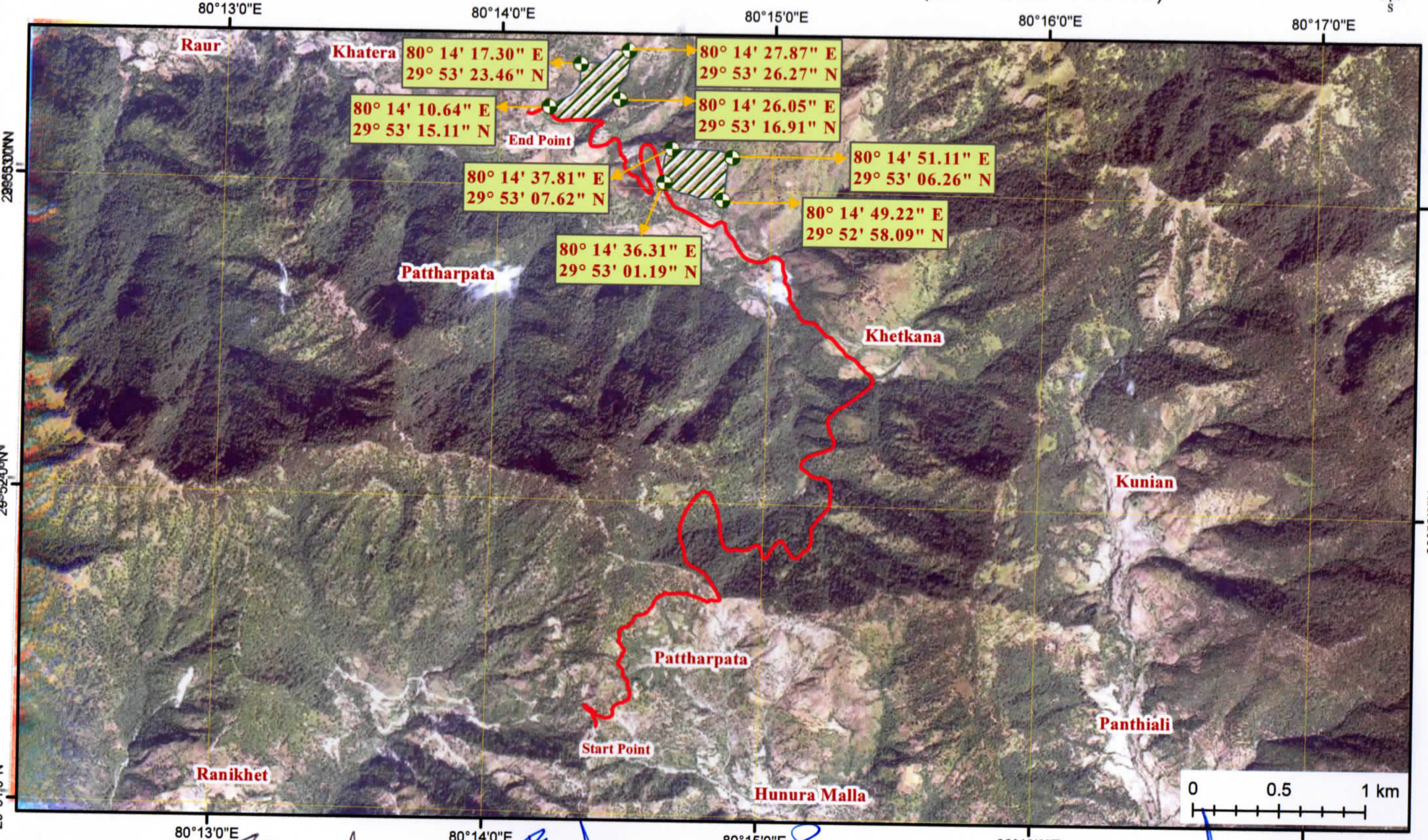

Proposed Road

Plantation Site

Plantation Area (20 Hac)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
पी0डब्लू0डी0, धारचूला

वन अधिकारी
वन प्रभाग
पिथौरागढ़

पिथौरागढ़

Main Attachment 1.7

जनपद पिथोरागढ मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत आदिचौरा से सीणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (ल0–13.00 कि0मी0)

Compensatory Afforestation

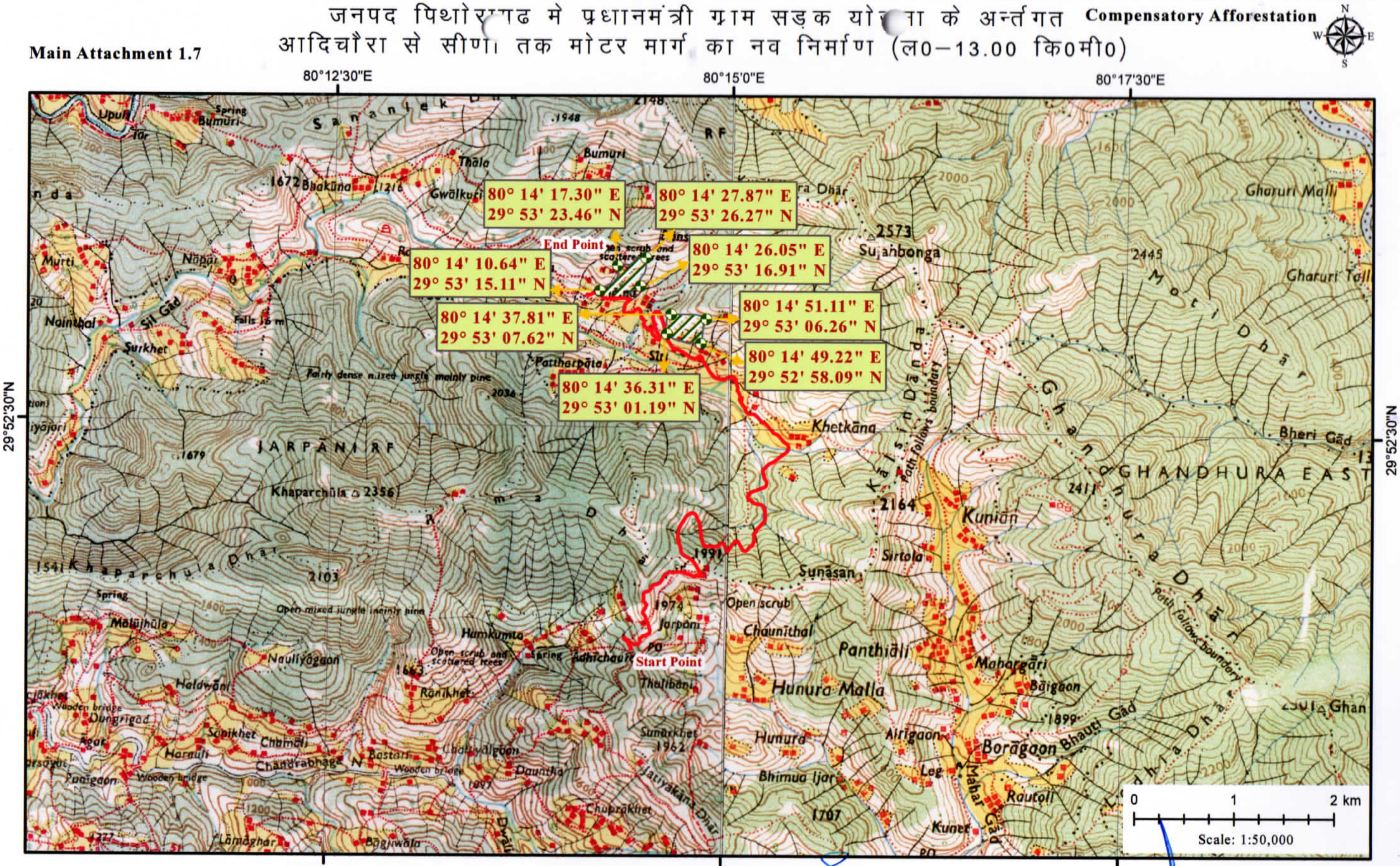

- Proposed Road
- Plantation Site
- Plantation Area (20 Hac)

J.E

A.E

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
पी0डब्लू0डी0, धारचूला

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण					
मोटर मार्ग –प्रस्तावित मोटर मार्ग आदिचौरा – सिन्नी मोटर मार्ग (कि0मी0–13.00)					
ग्राम – सिन्नी	परगना.– रिगोनिया ,	तहसील– मुनस्यारी		जिला – पिथौरागढ़	
क्र.सं0	खाता सं0	खातेदार कानाम	खेत नं0	कुल रक्वा	अर्जित रकबा
1	252	बंजर काबिल आबाद	6292	0.056	0.050
2	"	बंजर काबिल आबाद	6369	0.103	0.100
3	"	बंजर काबिल आबाद	6469	0.219	0.200
4	"	बंजर काबिल आबाद	6493	0.163	0.100
5	"	बंजर काबिल आबाद	6222	0.255	0.200
6	"	बंजर काबिल आबाद	6524	0.106	0.100
7	"	बंजर काबिल आबाद	6535	0.133	0.100
8	"	बंजर काबिल आबाद	6570	0.338	0.200
9	"	बंजर काबिल आबाद	6990	0.325	0.300
10	"	बंजर काबिल आबाद	6998	0.291	0.200
11	"	बंजर काबिल आबाद	6928	0.131	0.100
12	"	बंजर काबिल आबाद	6994	0.101	0.100
13	"	बंजर काबिल आबाद	6999	0.063	0.050
14	"	बंजर काबिल आबाद	7033	0.106	0.100
15	"	बंजर काबिल आबाद	7585	0.089	0.060
16	"	बंजर काबिल आबाद	7604	0.133	0.100
17	"	बंजर काबिल आबाद	7904	0.083	0.050
18	"	बंजर काबिल आबाद	7936	0.455	0.300
19	"	बंजर काबिल आबाद	8713	0.923	0.600
20	"	बंजर काबिल आबाद	8714	0.658	0.400
21	"	बंजर काबिल आबाद	6829	0.125	0.076
22	"	बंजर काबिल आबाद	8856	0.183	0.100
23	"	बंजर काबिल आबाद	8912	0.088	0.045
24	245	बंजर काबिल आबाद	1483	0.890	0.500
25	"	बंजर काबिल आबाद	3576	1.811	1.500
26	"	बंजर काबिल आबाद	3497	0.693	0.500
27	"	बंजर काबिल आबाद	3618	1.364	1.000
28	"	बंजर काबिल आबाद	4858	2.313	2.215
29	"	बंजर काबिल आबाद	4686	1.187	1.000
	कुल योग			**13.39**	**10.35**

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...रिगोनिया......
तह0....मुनस्यारी...

तहसीलदार
मुनस्यारी(पिथौरागढ़)

1.9

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

मोटर मार्ग –प्रस्तावित मोटर मार्ग आदिचौरा – सिन्नी मोटर मार्ग (कि0मी0–13.00)

ग्राम – सिन्नी परगना.– रिगोनिया , तहसील– मुनस्यारी जिला – पिथौरागढ़

क्र.सं0	खाता सं0	खातेदार कानाम	खेत नं0	कुल रक्वा	अर्जित रकबा
1	252	बंजर काबिल आबाद	4	0.059	0.050
2	"	बंजर काबिल आबाद	6	0.786	0.750
3	"	बंजर काबिल आबाद	7	0.729	0.700
4	"	बंजर काबिल आबाद	8	0.938	0.900
5	"	बंजर काबिल आबाद	9	0.500	0.400
6	"	बंजर काबिल आबाद	10	0.375	0.300
7	"	बंजर काबिल आबाद	11	0.149	0.145
8	"	बंजर काबिल आबाद	12	2.215	2.100
9	"	बंजर काबिल आबाद	39	0.161	0.150
10	"	बंजर काबिल आबाद	157	0.230	0.200
11	"	बंजर काबिल आबाद	956	0.194	0.170
12	"	बंजर काबिल आबाद	968	0.094	0.070
13	"	बंजर काबिल आबाद	978	0.046	0.040
14	"	बंजर काबिल आबाद	980	0.319	0.300
15	"	बंजर काबिल आबाद	986	0.193	0.165
16	"	बंजर काबिल आबाद	1076	0.178	0.150
17	"	बंजर काबिल आबाद	1936	0.050	0.050
18	"	बंजर काबिल आबाद	1998	0.253	0.250
19	"	बंजर काबिल आबाद	2882	0.050	0.050
20	"	बंजर काबिल आबाद	3050	0.024	0.020
21	"	बंजर काबिल आबाद	3142	0.235	0.220
22	"	बंजर काबिल आबाद	3200	0.064	0.050
23	"	बंजर काबिल आबाद	3367	0.060	0.050
24	"	बंजर काबिल आबाद	3373	0.451	0.140
25	"	बंजर काबिल आबाद	3390	0.054	0.050
26	"	बंजर काबिल आबाद	3408	0.425	0.400
27	"	बंजर काबिल आबाद	3467	0.238	0.200
28	"	बंजर काबिल आबाद	3480	0.060	0.050
29	"	बंजर काबिल आबाद	3489	0.111	0.100
30	"	बंजर काबिल आबाद	3527	0.236	0.200
31	"	बंजर काबिल आबाद	3739	0.333	0.300
32	"	बंजर काबिल आबाद	3924	0.085	0.050
33	"	बंजर काबिल आबाद	4191	0.076	0.040
34	"	बंजर काबिल आबाद	3101	0.111	0.100
35	"	बंजर काबिल आबाद	4854	0.215	0.200
36	"	बंजर काबिल आबाद	4860	0.061	0.040
37	"	बंजर काबिल आबाद	4860	1.448	1.100
38	"	बंजर काबिल आबाद	4894	0.044	0.050
39	"	बंजर काबिल आबाद	5124	0.073	0.050
40		कुल योग		11.893	10.35

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र....रिगौनिया......
तह0....मुनस्यारी.....
दिनांक.................

कुल योग = 10.35 + 10.35 = 20.70 Hect.

(2)

तहसीलदार
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)